न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 150/2017 प्रार्थना पत्र

शेर अली पिता मोहब्बत अली, जाति मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी साकरिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. नगरपालिका निम्बाहेड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका निम्बाहेड़ा।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।
3. कमर अली पिता रहमत अली मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी साकरिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. नजमा पिता अब्बास अली मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी साकरिया, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.

निर्णय दिनांक 08.07.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा साकरिया की खाता संख्या 275 की आराजी नं. 862/542 रकबा 0. 4000 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इसे पुराने आराजी नं. 335 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा थे। यह भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं उसके भाई रेहमत अली पिता मोहम्मद अली मुसलमान निवासी साकरिया की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। यह आराजीयात निम्बाहेड़ा उदयपुर रोड़ से लगी हुई है जिस पर प्रार्थी अपने पिता के जमाने से शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस में सही रूप से तरमीम थी तथा रोड़ से लगी हुई थी परन्तु वर्तमान में नवीन सेटलमेण्ट में राजस्व कर्मचारियों की गलत की वजह से वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम कर दिया है। प्रार्थी की भूमि जो रोड़ के लगी हुई थी उसके स्थान पर विपक्षी संख्या 1 की भूमि को तरमीम कर दिया गया है। प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात 862/542 को नक्शा ट्रेस में सही रूप से तरमीम नहीं किया गया है। उक्त अंकन मौके व कब्जे अनुसार सही नहीं है। इसलिए प्रार्थी की आराजीयात का अंकन पुराने नक्शे व कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है

कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात को नक्शा ट्रेस में पुराने नक्शे व कब्जे के आधार पर तरमीम किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों को नकारते हुए वर्तमान राजस्व रेकार्ड को सही बताया है तथा विपक्षी संख्या 1 का अपनी भूमि पर ही कब्जा होना अंकित किया है।

विपक्षी संख्या 3 व 4 ने स्वयं उपस्थित होकर ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी के कथनों को स्वीकार करते हुए पुराने व नवीन राजस्व रेकार्ड में अन्तर बताते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है।

विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों को स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थी की आराजीयात जो आपसी सहमति बंटवारे से पूर्व आराजी नं. 542 रकबा 0.8000 हेक्टेयर थी और प्रार्थी व उसके भाई का कब्जा भी मौके पर 0.8000 हेक्टेयर पर ही है परन्तु नक्शा ट्रेस में रकबा बरारी करने पर 0.6000 हेक्टेयर ही बनता है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी नं. 539 की नक्शा ट्रेस में रकबा बरारी करने पर रकबा 1.0300 हेक्टेयर बनता है जबकि रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 0.8300 हेक्टेयर भूमि ही दर्ज रेकार्ड है। मौके पर प्रार्थी का एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 का 0. 8000 हैक्टेयर पर ही कब्जा काश्त होकर फसल हो रही है। मौके पर कब्जे का कोई विवाद भी नहीं है। साथ ही राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने की अनुशंषा की है तथा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम साकरिया की खाता संख्या 30 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल ग्राम साकरिया, नवीन नक्शा ट्रेस ग्राम साकरिया, नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम साकरिया की खाता संख्या 275 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2029-32 ग्राम साकरिया की खाता संख्या 113, साबिक नक्शे की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किये हैं। विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। रेकार्ड में प्रार्थी के नाम प्रश्नगत आराजी 0.4000 हेक्टेयर दर्ज रेकार्ड है तथा इसी अनुसार उसके भाई के हिस्से में भी 0.4000 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। पूर्व में यह संयुक्त खाता था जिसका आपसी सहमति से बंटवारा होना बताया है। इस प्रकार प्रार्थी व विपक्षी संख्या 3 व 4 का संयुक्त खाता 0.8000 हेक्टेयर बनता है और रेकार्ड में भी यही दर्ज है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट में भी प्रार्थी व उसके भाई का भी मौके पर कब्जा 0.8000 हेक्टेयर पर ही है। नक्शा ट्रेस की रकबा बरारी करने पर प्रार्थी व उसके भाई का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्सा 0.6000 हेक्टेयर ही आता है जो स्पष्टतया त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 की आराजी नं. 539 का रकबा खाते में 0.8300 हैक्टेयर दर्ज है, मौके पर कब्जा भी 0.8300 हेक्टेयर पर ही है परन्तु नक्शा ट्रेस की रकबा बरारी करने पर 1.0300 प्रकट होता है। इससे स्पष्ट होता है कि नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की आराजीयात की तरमीम गलत हुई है तथा साबिक नक्शा ट्रेस व वर्तमान मौके व राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार संशोधन किये जाने से प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित होगा। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी मौके एवं रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की अनुशंषा की है। विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी के कथनों का विरोध किया है परन्तु अपने पक्ष में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वैसे भी राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि के बराबर रकबा वर्तमान नक्शा ट्रेस में अंकन कराने का अधिकारी है। इसी अनुसार विपक्षी संख्या 1 के खाते में दर्ज रकबे से अधिक की तरमीम वर्तमान नक्शा ट्रेस में हुई है जो उचित नहीं है और संशोधन किया जाना आवश्यक है। विपक्षी संख्या 3 व 4 जो अन्य प्रभावित पक्ष हैं, ने भी ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अपना पक्ष साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर एवं साबिक नक्शा ट्रेस एवं नवीन नक्शा ट्रेस में प्रकट अन्तर के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत भूमि मौजा साकरिया की खाता संख्या 275 की आराजी नं. 862/542 रकबा 0.4000 हेक्टेयर भूमि में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं–

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	542मी	0.40	कमर अली पिता रहमत अली 1/2, नजमा पिता अब्बास अली 1/2 मुसलमान सा. देह	542मी	0.40	कमर अली पिता रहमत अली 1/2, नजमा पिता अब्बास अली 1/2 मुसलमान सा. देह
2	862/542	0.40	शेर अली पिता मोहब्बत अली मुसलमान, सा. देह	862/542	0.20	शेर अली पिता मोहब्बत अली मुसलमान, सा. देह
3	539	0.83	नगरपालिका निम्बाहेड़ा (राज्य हित)	539 में से 539मी	0.20 0.83	शेर अली पिता मोहब्बत अली मुसलमान, सा. देह नगरपालिका निम्बाहेड़ा (राज्य हित)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 08.07.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 18:08:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: